अमेरिकी श्रम विभाग (U.S. Department of Labor)

मजदूरी तथा कार्यसमय प्रभाग

U.S. Wage and Hour Division

(दिसम्बर 2011)

तथ्य शीट # 77A: निष्पक्ष श्रम मानक अधिनियम (FLSA) के तहत बदले की कार्यवाही पर रोक

इस तथ्य शीट में ऐसे किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध बदले की कार्यवाही पर FLSA की रोक से संबंधित सामान्य जानकारी दी गई है, जिसने कोई शिकायत दर्ज करवाई है अथवा किसी जांच में सहयोग प्रदान किया है।

श्रम विभाग का मजदूरी तथा कार्यसमय प्रभाग, FLSA की व्यवस्था और उसको लागू करता है जो मजदूरी तथा कार्यसमय से संबंधित सबसे आम लागू किया जाने वाला संघीय कानून है। इसमें शामिल सभी गैर-छूट कर्मचारियों को काम के पूरे समय के लिए कम से कम चालू संघीय न्यूनतम मजदूरी तथा एक कार्यसप्ताह में 40 घंटे से ज्यादा किए गए काम के पूरे समय के लिए अतिरिक्त समय (ओवर टाइम), नियमित मजदूरी दर का डेढ़ गुना अदा किया जाना चाहिए। मजदूरी तथा कार्यसमय प्रभाग FLSA के उल्लंघनों की जांच इसके शिकायत-आधारित और निदेशित जांच कार्यक्रमों के माध्यम से करता है।

निषेध

FLSA की धारा 15(a)(3) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के संबंध में **"किसी कर्मचारी को कार्य विमुक्त करना अथवा किसी अन्य प्रकार से उसके विरूद्ध भेदभाव करना, क्योंकि ऐसे कर्मचारी ने इस अधिनियम के तहत अथवा इससे संबंधित कोई शिकायत दर्ज की है अथवा कोई कार्यवाही शुरू की है अथवा करवाई है, अथवा ऐसी किसी कार्यवाही में गवाही दी है अथवा गवाही देने वाला/वाली है, अथवा किसी उद्योग समिति में काम किया है अथवा काम करने वाला/वाली है"**, इस कानून का उल्लंघन है।

कर्मचारियों को इस बात का भेदभाव किए बिना संरक्षित किया जाता है कि शिकायत मौखिक अथवा लिखित रूप में दर्ज करवाई गई है। मजदूरी तथा कार्यसमय प्रभाग को की गई शिकायतें संरक्षित की जाती हैं, तथा **अधिकांश न्यायालयों ने व्यवस्था दी है कि नियोक्ता को की गई आंतरिक शिकायतें भी संरक्षित की जाती हैं।**

दायरा

चूंकि धारा 15(a)(3) में “किसी व्यक्ति” पर “किसी कर्मचारी” के विरूद्ध बदले की कार्यवाही पर रोक लगाई गई है, यह संरक्षण किसी नियोक्ता के <u>सभी</u> कर्मचारियों के विषय में लागू होता है, यहां तक कि उन मामलों में भी जिनमें कर्मचारी का काम और नियोक्ता FLSA के तहत नहीं आते हैं।

FLSA के दायरे के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया http://www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs14.htmपर तथ्य शीट 14 देखें।

धारा 15(a)(3) उन हालात में भी लागू होती है जहां पक्षों के बीच कोई वर्तमान रोजगार संबंध नहीं है; उदाहरण के लिए, यह कर्मचारी को उसके पूर्व नियोक्ता द्वारा की जाने वाली बदले की कार्यवाही से संरक्षित करती है।

लागू करना

कोई **कर्मचारी** जिसको **"कार्य मुक्त किया गया है अथवा उसके विरूद्ध किसी अन्य प्रकार से भेदभाव किया गया है"** क्योंकि, उदाहरण के लिए, उसके द्वारा कोई शिकायत दर्ज करवाई गई है अथवा किसी जांच में सहयोग दिया गया है, बदले की कार्यवाही की शिकायत मजदूरी तथा कार्यसमय प्रभाग में दर्ज करवा सकता/सकती है अथवा निजी कार्यवाही का कारण दर्ज करवा कर उपयुक्त प्रतिकार की मांग कर सकता/सकती है, जिसमें रोजगार, बहाली, मजदूरी की क्षति और अनिश्चित क्षति के रूप में एक अतिरिक्त बराबर राशि की मांग शामिल है, परंतु यहीं तक सीमित नहीं है।

अतिरिक्त जानकारी कहां से प्राप्त करें

अतिरिक्त जानकारी हेतु, कृपया मजदूरी तथा कार्यसमय प्रभाग की वेबसाइट: http://www.wagehour.dol.gov देखें तथा/अथवा हमारे टोल-फ्री सूचना और हेल्पलाइन नंबर: 1-866-4USWAGE (1-866-487-9243) पर कॉल करें, जो आपके समय क्षेत्र में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध हैं।

यह प्रकाशन सामान्य जानकारी के लिए है तथा इसको विनियमों में दी गई स्थिति के आधिकारिक वक्तव्यों के रूप में विचारित नहीं किया जाना चाहिए।

U.S. Department of Labor Frances Perkins Building 200 Constitution Avenue, NW Washington, DC 20210	**1-866-4-USWAGE** TTY: 1-866-487-9243 हमसे संपर्क करें